न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार-I, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 126/2023 **GCMS 2023/347**

प्रार्थीगण

1. बजरंगलाल पुत्र नाथूराम उम्र 60 वर्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
2. हणमानराम पुत्र नाथूराम उम्र 64 वर्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
3. हेमाराम पुत्र नाथूराम उम्र 50 वर्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
4. विमला देवी पत्नी सुरेश उम्र 45 वर्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
5. संतोष देवी पत्नी मुकेश कुमार उम्र 40 वर्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
6. मानाराम पुत्र स्व. डालूराम उम्र 68 वर्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
7. नरसीराम पुत्र स्व. डालूराम उम्र 53 वर्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी ।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिय 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
तहसीलदार कुचामनसिटी अप्रार्थी।

आदेश

दिनॉक 07/01/2025

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 132, 129 की भूंमि प्रार्थी संख्या 1 ता 3 की सहखातेदारी की अवस्थित थी, द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान ग्राम रूपपुरा में से नवीन ग्राम टोरड़ा नवगठित किया गया, गत खसरा नम्बर 132, 129 के नवीन खसरा नम्बर 432 रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 437 रकबा 3.33 हैक्टर कुल रकबा 4.32 हैक्टर कायम किये गये। ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 432 व 437 जो कि प्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी के आये हुये है, सेटलमेंट अधिकारियों ने मौके की स्थिति के विपरीत कटाणी रास्ता गत खसरा नम्बर 433 व 437 को तिरछे काटते हुए राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 433 रकबा 0.08 हैक्टर गै. मु.रास्ता तरमीम कर दिया, जबकि वास्तव में रास्ता खसरा नम्बर 437 की पूर्वी सींव से खसरा नम्बर 436 की उत्तरी सींव पर से खसरा नम्बर 1106/434 की दक्षिणी सींव से उत्तरी सींव पर चलता है, जिसे परिशिष्ट में मार्क 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' से दर्शित किया गया है। परिशिष्ट प्रार्थना–पत्र का अभिन्न अंग बताया गया है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

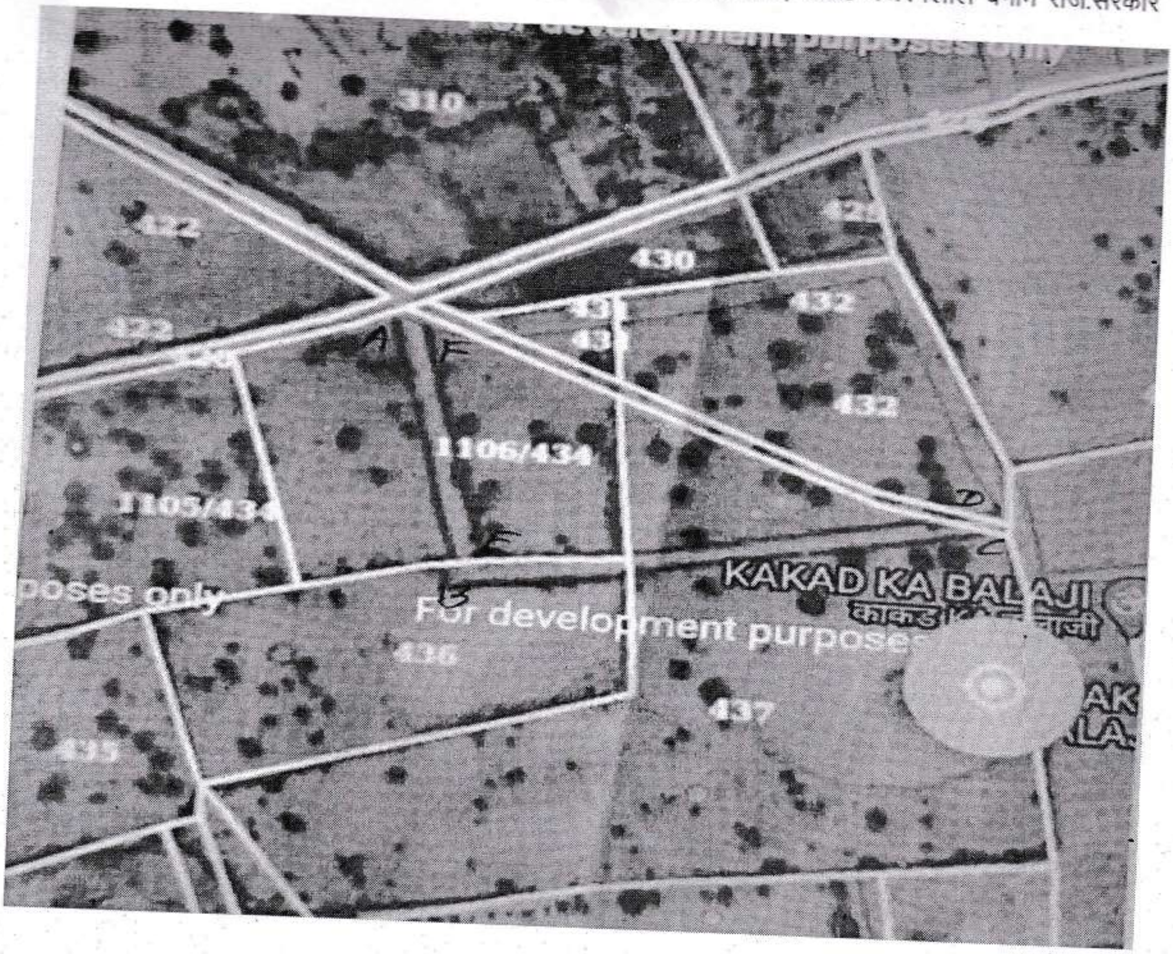

खसरा नम्बर 436 के खातेदार 4 व 5 एवं खसरा नम्बर 1106 / 434 का खातेदार डालूराम पुत्र नारायणराम थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके वारिसान प्रार्थी संख्या 6 व 7 है, प्रार्थी संख्या 4, 5, 6, सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 433 को राजस्व नक्शे में किये गये गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है एवं जहॉ वर्तमान में रास्ता चालू है जो परिशिष्ट 'क' में दर्शित मार्क 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' है, के अनुसार दुरूस्त करवाना चाहते है। खसरा नम्बर 433 गै.मु.रास्ता को मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने से किसी भी खातेदार का हित प्रभावित नही होता है एवं रास्ता मौके के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने से सभी खातेदारो को सुविधा होगी, इसलिए प्रार्थीगण राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 433 की सहवन से की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत सभी तहसीलों के राजस्व रिकार्ड को ऑन लाईन करना था एवं सभी खतौनियों में सेग्रिगेशन किया गया, इस योजना के तहत कस्बा कुचामनसिटी के राजस्व रिकार्ड को ऑन लाईन किया गया एवं खतौनियों में सेग्रिगेशन किया गया, उस वक्त भी अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

433 की सहवन से की गई गलत तरमीम का संज्ञान नही लिया गया एवं दुरूस्त नही किया गया। खसरा नम्बर 433 की तरमीम मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार दुरूस्त नही किये जाने से प्रार्थीगण अपने हक अधिकार की भूमि से वंचित हो जायेंगे, इसलिए राजस्व नक्शे में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गयाा है, यह केवल मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 433 की राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' में मार्क 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' के अनुसार किया जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को ही अपना जवाब माना। इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/ 2023/102 दिनॉक 03.07.2023 को मौके रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पटवारी हल्का रूपपुरा टोरड़ा को तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में दिनॉक 13.07.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार कर इस न्यायालय में दिनॉक 28.07.2023 को प्रस्तुत की गई। जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :–

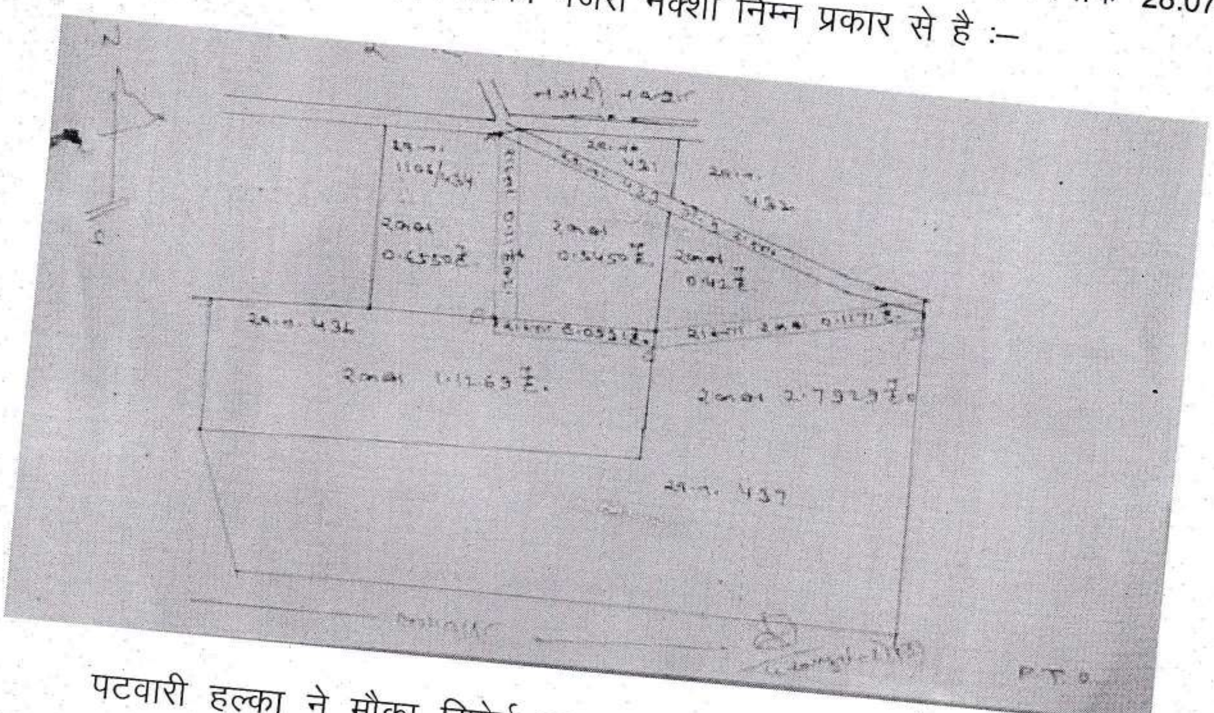

पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत [illegible] किया है कि ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुरा–टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी [illegible] नम्बर 433 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता राजकीय [illegible] रिकॉर्ड है, खसरा नम्बर 436 रकबा 1.18 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय विमला देवी पत्नी सुरेश हिस्सा 1/2 संतोष देवी पत्नी मुकेश कुमार हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा. कुचामनसिटी खातेदार, खसरा नम्बर 437 रकबा 3.33 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय बजरंगलाल पुत्र नाथूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

हिस्सा 1 / 3 हणमानराम पुत्र नाथूराम हिस्सा 1 / 3 हेमाराम पुत्र नाथूराम हिस्सा 1 / 3 जाति कुम्हार सा. कुचामन खातेदार तथा खसरा नम्बर 1106 / 434 रकबा 1.31 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम डालूराम पुत्र नारायणराम जाति कुमावत सा. कुचामनसिटी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार डालूराम पुत्र नारायणराम की मृत्यु हो चुकी है। मौका स्थिति अनुसार ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 433 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै. मु. रास्ता को खसरा नम्बर 437 के खातेदारों द्वारा 0.05 हैक्टर तथा खसा नम्बर 1106 / 434 के खातेदार द्वारा 0.03 हैक्टर रकबा अपने खेत खसरा में मिला रखा है तथा रास्ता को नजरी नक्शा में दिखाये अनुसार मौके पर चालू कर रखा है। मौका पर नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1106 / 434 में रास्ता 0.11 हैक्टर खसरा नम्बर 436 में से 0.0531 हैक्टर रास्ता तथा खसरा नम्बर 437 में से 0.1171 हैक्टर रास्ता मौके पर चालू है। खसरा नम्बर 436, 437, 1106 / 434 के खातेदार राजस्व रिकार्ड में स्थित खसरा नम्बर 433 गै.मु.रास्ता रकबा 0.08 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर खसरा नम्बर 437 में तथा 0.03 हैक्टर खसरा नम्बर 1106 / 434 में मिलाते हुए नजरी नक्शा में लाला स्याही से दिखाये अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है मौके पर नजरी नक्शे में लाल स्याही से दिखाये अनुसार ही रास्ता चालू है।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से गत खसरा नम्बर 129, 132 से संबंधित नक्शा ट्रेस की नकल, चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 ग्राम टोरड़ा के खाता सं. 248 खसरा नम्बर 432, 437, खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 1106 / 434 431, 954, 963 खाता संख्या 156 खसरा नम्बर 1232 / 1227, 436 खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 433 की प्रस्तुत की।

प्रकरण में उभय पक्षकारा की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रस्तुत परिशिष्ट 'क' में दर्शाये अनुसार रिलीफ चाही है तथा पटवारी हल्का रूपपुरा की मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.07.2023 अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे को दुरूस्त किये जाने के कथन किये गये है। प्रार्थीगण भी दर्शित नजरी नक्शो अनुसार व मौके के अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को संशोधन करने तथा इस अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्त कराने की मंशा है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का रिपोर्ट को ही सही माना है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। [illegible] नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि उपरोक्त रास्ता वर्तमान [illegible] द्वारा दर्शाया गया है, जबकि मौके पर उक्त रास्ता खसरा नम्बर 433 [illegible] केवल मात्र राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दर्शित किया गया है। प्रार्थना–पत्र में दर्शित गूगल मेप द्वारा नक्शा अनुसार मार्क 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' के मध्य रास्तेनुमा आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

प्रचलित रास्ता भी उक्त मार्क के मध्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट से भी होती है। चूँकि रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है कि खसरा नम्बर 433 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु.रास्ता की भूमि 0.05 हैक्टर खसरा नम्बर 437 के खातेदारो अपने खेत में मिला रखी है तथा 0.03 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 1106 / 434 के खातेदारो द्वारा अपने खेत में मिला रखी है तथा मौके पर काफी समय से मार्क 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' से होकर आ जा रहे है प्रस्तावित पटवारी हल्का रिपोर्ट में अंकित भूमि खसरा नम्बर 1106 / 434 में से 0.11 + खसरा नम्बर 436 में से 0.0531 + खसरा नम्बर 437 में से 0.1171 हैक्टर भूमि नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित भूमि को रास्ते के लिये दिये जाने के लिए सहमत है, तथा उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड मे राजस्व दर्ज कर सरकारी कटाणी रास्ता दर्ज किये जाने हेतु भी सहमति प्रदान की है। जिसकी सहमति बाबत पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट 13.7.23 में अपने हस्ताक्षर कर अंगूष्ठ निशान कर दी गई है। गत व वर्तमान नक्शे के मिलान से दोनो नक्शो की आकृति में भिन्नता स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं। उक्त अभिलेखीय एवं विधिक स्थिति के विवेचन पश्चात प्रार्थी द्वारा चाहा गया संशोधन न्यायोचित है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से काबिल स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन के खसरा नम्बर खसरा 1106 / 434 में से 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 में से 0.0531 हैक्टर, खसरा नम्बर 437 में से 0.1171 हैक्टर भूमि संबंधित खातेदारो के कम की जाकर राजस्व रेकार्ड में राजकीय कटाणी रास्ता अर्थात गै.मु.रास्ता प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा अनुसार दर्ज की जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी उपरोक्तानुसार एवं पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.07.2023 राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर एवं नक्शा ट्रेस में संशोधन कर तरमीम करें। मौका रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगी। मौका रिपोर्ट प्रति आदेश की प्रति के साथ पालनार्थ तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजी जावें।

आदेश आज दिनॉक 07/01/2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:05 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार-I)
उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी
जिला (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)